

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जून 2021—ज्येष्ठ 21, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जून 2021

क्र. एफ 1(ए)68-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती कृष्णावेनी देसावतु, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल (मध्य क्षेत्र), भोपाल को दिनांक 16 से 19 फरवरी 2021 तक एवं दिनांक 22 से 24 फरवरी 2021 तक, कुल सात दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कृष्णावेनी देसावतु, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल (मध्य क्षेत्र), भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती कृष्णावेनी देसावतु, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कृष्णावेनी देसावतु, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. एफ 1(ए)107-2008-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 अप्रैल 2021 द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद जोन, होशंगाबाद का पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश वर्तमान में कोविड-19 के कारण उत्पन्न कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. एफ 1(ए)154-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (प्रशासन), पु. मु., भोपाल को दिनांक 7 से 24 अप्रैल 2021 तक, अठारह दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 36 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

6847

(3) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)186-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अप्रैल 2021 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 8 से 21 अप्रैल 2021 तक, चौदह दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश एवं दिनांक 22 अप्रैल से 1 मई 2021 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश व दिनांक 02 मई 2021 के घोषित राजपत्रित अवकाश के लाभ के साथ कार्यांतर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 28 दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) आदेश की शेष कंडिका यथावत् रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मई 2021

फा. क्र. 2017-2021-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री मुकेश कुमार, 24वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की सेवाएं, रजिस्ट्रार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन. जी. टी.), भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिये एतद्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सौंपता है।

फा. क्र. 17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक)1820-2021.—कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक)-2311-19, दिनांक 5 अप्रैल 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, जिला न्यायाधीश स्तर की सारणी में, अनुक्रमांक 3 तथा व्यवहार न्यायाधीश स्तर की सारणी के अनुक्रमांक 5 एवं 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा इससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

स. क्र.	जिला	सारणी	न्यायिक अधिकारी (जिला न्यायाधीश स्तर)
(1)	(2)	(3)	
“3.	जबलपुर	श्री उमाशंकर अग्रवाल, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश.	

सारणी

स. क्र.	जिला	न्यायिक अधिकारी (सिविल न्यायाधीश स्तर)
(1)	(2)	(3)
5	रीवा	श्री शशांक सिंह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
7	सिंगरौली	श्री कृष्णपाल सिंह द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1”.

F. No. 17(E)17-2016-XXI-B(1) 1820-2021.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts, Act, 2015 (No. 4 of 2016) the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. 17(E)17-2016-XXI-B(1) 2311-19 dated 5th April 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part 1, dated 17th May 2019, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial number 3 for (District Judge Level list) 5, and 7 for (Civil Judge Level list) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	District	Proposed Names of Judicial Officers (District Judge Level)
(1)	(2)	(3)
“3.	Jabalpur	Shri Uma Shankar Agrawal, IInd ASJ

TABLE

S. No.	District	Proposed Names of Judicial Officers (Civil Judge Level)
(1)	(2)	(3)
5	Rewa	Shri Shashank Singh, IVth CJ-I
7	Singrauli	Shri Krishna Pal Singh II CJ-I.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव।

Bhopal, the 01st June, 2021

F. No. 1807-XXI-B(II)-2021.—The State Government, hereby, substitutes for Mrs. Elker Mazumdar, Senior Advocate Supreme Court, New Delhi with Mrs. Mrinal Elker Mazumdar, Advocate on Record, Supreme Court, New Delhi by partly amending this Department's Order No. 1711-1423-21-B(II), Dated 7 April, 2021.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
GOPAL SHRIVASTAVA, Secy.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2021

क्रमांक एफ 15-11/2020/10-2 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 917h दिनांक 24.02.1879 द्वारा आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी।

अनुसूची

जिला :- होशंगाबाद

वनमंडल :- होशंगाबाद

तहसील - इटारसी

वन पक्षेत्र- सुखतवा

अ. क्र.	वन परिसर का नाम	वनखण्ड का नाम	वन कक्षा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.मे.) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा	आरक्षित वन नहीं रहने का कारण	आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें
1	2	3	4	5	6	
1.	हिरणचापडा	घोघरा	(पुराना) आर.एफ. -339 (नया) आर.एफ.-81	240.00	भारत सरकार की स्वीकृति क्रमांक F.No.8-75/2014-FC दिनांक 08.05.2015 के अनुक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञाप F.No.8-34/2017-FC दिनांक 20.05.2019 से वनभूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने के निर्देश के पालन में सतपुड़ा टाईगर रिजर्व से विस्थापित कर बसाये गये स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण	उत्तर सीमा- कृत्रिम लाइन मुनारा क्रमांक 23 से नवीन मुनारा क्रमांक 31/1 तक आरक्षित वनखण्ड घोघरा। पूर्व सीमा- कृत्रिम लाइन आरक्षित वनखण्ड घोघरा के नवीन मुनारा क्रमांक 31/1 से मुनारा क्रमांक 2 तक, मुनारा क्रमांक 2 से मुनारा क्रमांक 12 तक वनग्राम हिरणचापडा की सीमा एवं नवीन कृत्रिम लाइन मुनारा क्रमांक 12 से मुनारा क्रमांक 17/5 तक। दक्षिणी सीमा- कृत्रिम लाइन आरक्षित वनखण्ड घोघरा की सीमा मुनारा क्रमांक 17/5 से मुनारा क्रमांक 10 तक एवं नवीन कृत्रिम लाइन मुनारा क्रमांक 10/1 से 14/7 तक। पश्चिम सीमा- कृत्रिम लाइन आरक्षित वनखण्ड घोघरा के नवीन मुनारा क्रमांक 14/7 से मुनारा क्रमांक 23 तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पद्माप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

भोपाल दिनांक 27 मई 2021

क्रमांक एफ-15-11-2020-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-11-2020-दस-2, दिनांक 27 मई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पद्माप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

Bhopal the 27th May 2021

No. F 15-11/2020/10-2 :: In Exercise of powers conferred by Section 27 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as Reserve Forest by the Notification Number 917h Dated- 24.02.1879 of this Department, will cease to be Reserve Forest with effect from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department.

SCHEDULE**District: - Hoshangabad****Tehsil :- Itarsi****Forest Division: - Hoshangabad****Forest Range - Sukhatawa**

S. No.	Forest Beat	Forest Block	Forest Compartment Number	Area in Hectare Ceased to be Reserve Forest	Brief description of reasons for Ceasing Reserve Forest	Boundaries of Forest land Ceased to be Reserve Forest
1.	Hiranch-apada	Ghogora	(Old)RF-339 (New) RF-81	240.00	The denotification of the Forest land diverted for rehabilitation of village from Satpuda Tiger Reserve vide Government of India Sanction letter no. F.No. 8-75/2014-FC dated 08.05.2015 and the direction given by Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi vide letter No. F.No.8-34/2017-FC dated 20.05.2019 to change the status of Forest land into Revenue land.	North:- Artificial line from Pillar Number 23 to New Pillar Number 31/1 Reserve Forest Block Ghoghara. East:- Artificial line from New Pillar Number 31/1 to Pillar Number 2 of Reserve Forest Ghoghara. Boundary of Forest Village Hiranchapra From Pillar Number 2 to Pillar Number 12 and New Artificial cut line from Pillar Number 12 to 17/5. South:- Artificial line from New Pillar Number 17/5 to Pillar Number 10/1, RF Ghoghara and New Artificial cut line from Pillar Number 10/1 to Pillar Number 14/7 West:- Artificial line from New Pillar Number 14/7 to Pillar Number 23 of Reserve Forest Ghoghara.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PADMAPRIYA BALAKRISHNAN, Secy.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2021

क्र. एफ 15-07-2019-दस-2.—वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (53 सन् 1972) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये राज्य शासन एतद्वारा निम्न अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों के लिये वन्यप्राणी अभिरक्षक (वाईल्ड लाईफ वार्डन) नियुक्त करता है:—

1. समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक
2. समस्त क्षेत्र संचालक, प्रोजेक्ट टाइगर
3. समस्त वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय/वन्यप्राणी
4. समस्त संचालक राष्ट्रीय उद्यान
5. समस्त उप वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय
6. समस्त अधीक्षक, अभयारण्य
7. समस्त उप/सहायक संचालक, प्रोजेक्ट टाइगर/राष्ट्रीय उद्यान
8. समस्त सहायक संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
9. समस्त मण्डल प्रबंधक, वन विकास निगम
10. प्रोजेक्ट ऑफिसर, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, मुरैना
11. समस्त परिक्षेत्राधिकारी क्षेत्रीय/राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य/वन विकास निगम
12. टाइगर स्ट्राईक फोर्स में पदस्थ उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक/वन क्षेत्रपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पद्माप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

भोपाल दिनांक 1 जून 2021

एफ-15-07-2019-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-07-2019-दस-2, दिनांक 1 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पद्माप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

Bhopal the 1st June 2021

No. F-15-07-2019-X-2.—In exercise of powers conferred under section 4(1) of Wild Life (Protection) Act, 1972 and uperceding all previous notification in this regard the State Government, hereby, appiont following officers as Wild Life Warden in their respective jurisdiction.

1. All Territorial Conservators
2. All filed Directors Porject Tiger
3. All Divisonal Forest Officer Territorial/Wild Life
4. All Directors National Park
5. All Sub Divisonal Forest Officer Territorial
6. All Sanctuary Superintendent
7. All Deputy/Assisant Dirctor Porject Tiger
8. All Assistant Diretor Nanional Park
9. All Divisonal Manager, Forest Develoment Corporation
10. Project Offier, National Chambal Sanctuary, Morena
11. All Range Officers Territorial National Parks/Sanctuaries/Forest Development Corporation
12. Deputy Conservator of Forest/Assistant Conservator of Forest/Forest Ranger posted in Tiger Strike Force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

PADMAPRIYA BALAKRISHNAN, Secy.

कार्यालय, कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 27 मई 2021

आदेश

क्र. एफ-1-4-20-रा.स.-यू.ए.-1-416.—राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (क्र. 13 सन् 1998) की धारा 12 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय, भोपाल, एतद्द्वारा प्रो. सुनील कुमार, कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय, भोपाल (म. प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय, भोपाल का कुलपति नियुक्त करती हूँ।

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-4 के अनुसार शासित होंगी।

आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 3 जून 2021

क्र. एफ 1-2-21-रा.स.-यू.ए.-1-445.—अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) की धारा 29 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:—

1	प्रो. रेणु जैन, कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म. प्र.).	समिति के अध्यक्ष	कुलाधिपतिजी द्वारा नामनिर्दिष्ट
2	डॉ. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री, कुलपति, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश).	समिति के सदस्य	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट.
3	प्रो. टी. आर. थापक, कुलपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर.	समिति के सदस्य	कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट
4	प्रो. अर्पण भारद्वाज, प्राचार्य, माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन.	समिति के सदस्य	राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट

2. कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. रेणु जैन, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी।

4. समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3279/2019/रास/यू.ए.1, दिनांक 5 दिसम्बर 2019 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी।

कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल के आदेशानुसार,
मनोज खत्री, राज्यपाल के अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रा. प्र.क्र. 01-अ-82-2019-20-कास्दाखुर्द-10807

होशंगाबाद, दिनांक 8 सितम्बर 2020

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची सूची क्रमांक-1

ग्राम कास्दाखुर्द	तहसील इटारसी	जिला होशंगाबाद	
क्र०	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।	कुल रकबा	अर्जित रकबा
	इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन	12.382	0.984

अनुसूची क्रमांक-2

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	फूलवती वेवा रमेश बगैरह	152	2.513	0.004	निरंक
2	समोती बाई वेवा सुवन बगैरह	146	0.239	0.104	निरंक
3	रामकली वेवा गाजरलाल, दयाराम आ. गाजरलाल	144/1 143/1 140/1	0.367	0.128	निरंक
4	रजली वेवा शंकरलाल बगैरह	174/2	1.595	0.056	
5	नन्हेलाल आ. बाबूलाल	179/7क 179/ख	2.226	0.124	निरंक
6	सरवन वल्द बुददूसिंह, सुमित्रा, गुलिया, बलवान, भोलेशंकर, तारा, मुलिया, उमा सभी आत्मज किशन	179/9	2.023	0.112	निरंक
7	ललताबाई वेवा सुखलाल बगैरह	179/8	2.023	0.212	निरंक
8	भौजीलाल, मुशीलाल दोनों आ. सददू	179/2	0.890	0.036	निरंक
9	तातू आ. तुलाराम,	179/12	0.506	0.208	निरंक
	योग-	-	12.382	0.984	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रा. प्र.क्र. 03-अ-82-2019-20-सहेली-10811

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कर्मांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची क्रमांक-1

ग्राम सहेली	तहसील इटारसी	जिला होशंगाबाद	
क्र०	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।	कुल रकबा	अर्जित रकबा
	इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन	9.568	0.142

अनुसूची क्रमांक-2

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	शंकरलाल वल्द अमर सिंह	30/1/ख	4.330	0.020	निरंक
2	भैयालाल वल्द अमरसिंह भूमिस्वामी	30/2/ख	1.619	0.035	निरंक
3	समोती बाई वेवा शम्भूलाल, सुशीला, सरिता, संतोष, उमेश, अमिता सभी आत्मज शम्भूलाल	30/3	1.619	0.005	निरंक
4	सुमरती वेवा अधीरा सा.देह भूमिस्वामी	130/1	2.000	0.082	निरंक
	योग-	-	9.568	0.142	

(भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रा. प्र.क्र. 05-अ-82-2019-20-कास्दाखुर्द-10813

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची क्रमांक-1

ग्राम कीरतपुर	तहसील इटारसी	जिला होशंगाबाद	
क्र0	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।	कुल रकबा	अर्जित रकबा
	इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन	1.000	0.079

अनुसूची क्रमांक-2

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	राकेश वल्द फूलसिंग एवं अन्य	174 175	0.340	0.053	04 सागौन वृक्ष, 01 पलसा वृक्ष 01
2	शैल्विन जोसफ पत्नि विसेंट जोसफ, अजय अल्वर्ट एवं अन्य	177/2	0.660	0.026	
	योग-	-	1.000	0.079	05 वृक्ष

(भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रा. प्र.क्र. 02-अ-82-2019-20-ताकू-10809

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची क्रमांक-1

ग्राम ताकू	तहसील इटारसी	जिला होशंगाबाद	
क्र०	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।	कुल रकबा	अर्जित रकबा
	इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन	10.066	0.642

अनुसूची क्रमांक-2

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हेक्टर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर में	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	संजय अजय विजय पुत्रगण जुगलप्रसाद	51/1 51/2 51/3 51/4 50/4	4.047	0.187	02 वृक्ष, 01 टीनशेड
2	लक्ष्मी पत्नि बद्रीप्रसाद	53/1	3.622	0.084	01 वृक्ष
3	मुलियाबाई, आशाराम, रामभरोस सभी आ. मंगू	56/2	1.238	0.121	
4	नसरीन खान पत्नि मोहम्मद ईसराईल	57/1	0.809	0.113	
5	जगदीश आ. तुलसीराम	63/2	0.350	0.137	
	योग--	-	10.066	0.642	03 वृक्ष, 01 टीनशेड

(भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

963

राजगढ़, दिनांक 22 जनवरी 2021

-: अनुसूची - 1 :-

क्रमांक ०१/अ-82/2017-18 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक ०१/अ-82/2017-18 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम सांका जागीर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित मकानों जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की मकानों की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

क्रं.	ग्राम का नाम	कुल कृषक	रकबा (वर्ग मी.)
1	सांका जागीर	140	9402.95

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम सांका जागीर के आबादी में स्थित मकानों के अर्जन का विवरण

तहसील :- नरसिंहगढ़

जिला :- राजगढ़

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	मकान नं.	रकबा (वर्ग मी.)
1	2	3	4	5
सांका जागीर				
1	मोतीलाल पिता गिरधारी	93	18	174.83
2	ललिता प्रसाद पिता मदनलाल	93	19	67.90
3	चैनसिंह पिता दयाराम	93	20	52.00
4	रामबाबू पिता चैनसिंह	93	21	96.36
5	गुलाबसिंह पिता चैनसिंह	93	22	51.25
6	प्रेमसिंह, हेमसिंह, सूरजसिंह पिता भरतसिंह	93	23	153.22
7	दयालसिंह पिता अमरसिंह	93	24	112.30
8	जालमसिंह पिता जयसिंह	93	25	70.40
9	बापूलाल पिता नन्दराम	93	26A	19.14
10	नवल सिंह पिता बापूलाल	93	26B	23.20
11	प्रेमसिंह पिता बापूलाल	93	27	29.20
12	सीताराम पिता घासीराम	93	28	53.46
13	भारतसिंह पिता बक्सूलाल	97	29	31.28
14	प्रेमसिंह पिता भारतसिंह	97	30	24.00
15	भोलाराम पिता मानसिंह	97	31	27.90
16	श्री पिता गेन्दाजी	97	32	20.48
17	भूरसिंह पिता गेन्दाजी	97	33	24.40
18	भजनसिंह पिता मानसिंह	97	34	69.10

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	मकान नं.	रकबा (वर्ग मी.)
1	2	3	4	5
19	भगवतसिंह पिता कालुराम	97	35	45.50
20	हेमराज पिता कालूराम	97	36	81.16
21	सरजनसिंह पिता कालूराम	97	37	71.98
22	चन्द्रसिंह पिता हरिनारायण	97	38	73.92
23	दयालबाई पति हरिनारायण	97	39	78.03
24	पारससिंह पिता मानसिंह	97	40	51.00
25	नारायणसिंह पिता घासीराम	97	41	83.78
26	राजेन्द्रसिंह पिता मानसिंह	97	42	32.38
27	कन्चनसिंह पिता इन्द्रसिंह	97	43	16.74
28	हकमसिंह पिता सजनसिंह	97	44	28.56
29	प्रहलाद पिता लाखनसिंह	97	45	18.56
30	रामचरण सिंह पिता पथीसिंह	97	46	34.20
31	पर्यतसिंह पिता मोरसिंह	97	47	28.60
32	बनसिंह पिता गोरीलाल	97	48	54.83
33	बाबूलाल पिता गोरीलाल	97	49	73.86
34	दिलीपसिंह पिता गोरीलाल	97	50	37.70
35	सरजनसिंह पिता मांगीलाल (हवेली)	93	51	271.58
36	राजेन्द्र सिंह पिता जगमोहनसिंह	93	52	141.85
37	समन्दरसिंह पिता नारायणसिंह	93	53	70.57
38	लाखनसिंह पिता बक्शीलाल	88	65	31.28
39	बालमुकुन्द पिता जयकिशन	88	71	34.56
40	हरिसिंह पिता गोरीलाल	88	72	19.14
41	खुशीलाल पिता पन्नालाल	88	73	21.09
42	राजू पिता खुशीलाल	88	74	16.53
43	जयकिशन पिता मानसिंह	88	75	27.00
44	गोरिलाल पिता मानसिंह	88	76	30.85
45	गोपाल पिता हरिसिंह	88	77	21.00
46	मेहताबसिंह & धनराज पिता जालमसिंह	93	92	84.70
47	धनराज पिता जालमसिंह	93	93	36.55
48	रामस्वरूप पिता फतेहसिंह	93	94	57.94
49	फतेहसिंह पिता गंगाराम	93	95	11.18
50	बाबूसिंह पिता फतेसिंह	93	96	64.90
51	सुमेर सिंह पिता मांगीलाल	93	97	42.16
52	हरिसिंह पिता मांगीलाल	93	98	33.84
53	कमलसिंह पिता मांगीलाल	93	99	40.25
54	नारायणीबाई पति मांगीलाल	93	100	14.08
55	कन्चन सिंह पिता मांगीलाल	93	101	42.56
56	चन्द्रसिंह पिता फतेहसिंह	93	102	12.76
57	फतेसिंह पिता प्यारजी	93	103	24.64
58	भजनसिंह पिता फतेसिंह	93	104	36.96
59	राजेन्द्रसिंह पिता मानसिंह	93	105	25.50
60	गोविन्दसिंह पिता चैनसिंह	93	106	74.17
61	देवीसिंह पिता चैनसिंह	93	107	34.13
62	गंगाबाई पति चैनसिंह	93	108	20.21
63	समन्दरसिंह पिता चैनसिंह	93	109	73.72

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	मकान नं.	रकबा (वर्ग मी.)
1	2	3	4	5
64	राजू पिता भरतसिंह	93	110	55.03
65	पन्नालाल पिता बक्शीलाल	93	111	46.58
66	गजराजसिंह सुरेन्द्रसिंह बिशनसिंह पिता फतेसिंह	93	112	122.78
67	गजेन्द्रसिंह पिता लाखनसिंह	93	113	58.13
68	बद्रीलाल पिता जगन्नाथसिंह	93	136	165.28
69	इन्दरसिंह पिता बक्शूलाल	93	137	111.12
70	रामदयालसिंह पिता अमरसिंह	93	138	183.20
71	अमरसिंह पिता गोरीलाल	93	139	135.78
72	मेहरबानसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	93	140	63.00
73	जगदीश सिंह पिता कालूराम	93	141	33.30
74	हरिसिंह पिता मोहनलाल	93	142	109.98
75	पर्वतसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	93	143	79.50
सांका जागीर (मालीपुरा)				
76	कैलाश बाई पति हिम्मतसिंह	17/2	1	189.28
77	राजेन्द्रसिंह पिता बद्रीलाल	17/1	2	80.58
78	बाबूलाल पिता गोरीलाल	17/1	3	107.60
79	दिलीपसिंह पिता गोरीलाल	17/1	4	180.00
80	(अ) धूरसिंह पिता गोरीलाल (ब) नवलसिंह पिता धूरसिंह	17/1	5	71.38
81	क्रष्ण गोपाल पिता धूरसिंह	17/1	6	59.71
82	रामनारायणसिंह पिता कन्चनसिंह	17/1	7	59.29
83	श्रीराम पिता कन्चनसिंह	17/1	8	96.56
84	कन्चनसिंह पिता बापूलाल	17/1	9	58.88
85	प्रेमनारायण पिता हीरालाल	16/2	10	22.72
86	गंगाराम पिता गजोधर	16/2	11	61.60
87	दर्शनसिंह पिता गंगाराम	16/2	12	30.15
88	रमेश पिता गंगाराम	16/2	13	28.29
89	रामप्रसाद पिता सोमलाल	17/1	14	75.26
90	रामसिंह पिता मोहनलाल	18	16	106.64
91	रामसिंह पिता गंगाराम अनूपसिंह पिता रामसिंह	18	17	95.12
92	चन्द्रसिंह पिता जालमसिंह	18	18a	66.24
93	विजयसिंह पिता नारायणसिंह	18	19	37.41
94	नारायणसिंह पिता बक्शीलाल	18	19A	89.28
95	सुरेशसिंह पिता नारायणसिंह	18	19B	69.17
96	देवीसिंह पिता चैनसिंह	16/1/1	20	100.50
97	समन्दरसिंह पिता चैनसिंह	16/1/1	21	108.61
98	रामसिंह पिता बक्शूलाल	16/1/1	22 A	43.68
99	बबलू पिता जगबहादूर सिंह	16/1/1	22 B	20.90
100	फतेहसिंह पिता प्यारेलाल	16/1/1	23	116.69
101	चम्पालाल पिता मांगीलाल	16/1/1	24	46.20
102	भंवरलाल पिता मांगीलाल	16/1/1	25	84.48
103	मांगीलाल पिता रतिराम	16/1/1	26	85.14
104	गंगाबाई पति चैनसिंह	16/1/1	27	132.00
105	भिसीलाल पिता अमरचन्द्र क्रष्णाबाई पति भिसीलाल	16/1/1	28	208.99
106	पार्वती बाई पति भिसीलाल	16/1/1	29	37.50
107	कमलसिंह पिता हीरालाल	16/2	31	20.67

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	मकान नं.	रकबा (वर्ग मी.)
1	2	3	4	5
108	लीलाकिशन पिता बापूलाल	16/2	32	51.60
109	रानीबाई पति रामलाल	16/2	34	43.55
110	बद्रीलाल पिता अमरसिंह	16/2	35	80.08
111	गोविन्दसिंह पिता चैनसिंह	24/1/1/1	36	219.90
112	कनीराम पिता नन्दराम	24/1/1/1	37	106.08
113	जगबहादुर सिंह पिता विक्रमसिंह	1	38	121.50
114	बलवीरसिंह पिता विक्रमसिंह भोलाराम पिता विक्रमसिंह	1	39	157.25
115	जगमोहनसिंह पिता गेन्दालाल	1	40	91.80
116	प्रितमसिंह पिता चन्दरसिंह	24/1/1/1	41	27.38
117	रमेश पिता जालमसिंह	24/1/1/1	42	107.20
118	बर्नसिंह पिता जालमसिंह	24/1/1/1	43	69.87
119	गणपतसिंह पिता दयाराम	24/1/1/1	44	118.50
120	हरिप्रसाद पिता दयाराम	24/1/1/1	45	143.44
सांका जागीर (भोईपुरा)				
121	बद्रीलाल पिता बापूलाल	143	13	94.66
122	धापूबाई पति नन्नूलाल	143	14	36.30
123	सुखराम पिता पन्नालाल	143	15	27.06
124	जितेन्द्र दीपक पिता गुलाबसिंह	143	16	56.16
125	नारायणसिंह पिता बट्टलाल	143	17	23.45
126	गुडडीबाई पति रामनारायण	143	18	48.00
127	नेमसिंह पिता रामनारायण	143	19	49.20
128	नन्नीबाई पति पूरनचन्द	143	20	12.00
129	आशाबाई बेवा योगेश	143	21	30.00
130	दयालसिंह पिता रामनारायण	143	23	38.15
131	भवरलाल पिता नथूलाल	143	24	102.57
132	निभयसिंह पिता बाबूलाल	143	25	61.86
133	मांगीलाल पिता नथूलाल	143	26	46.80
134	राजकुमार पिता मांगीलाल	143	27	8.67
135	केशरबाई पति बाबूलाल	143	28	21.60
136	रोडजी पिता भवरलाल	143	29	15.00
137	विनोद दिलीप पिता किशनलाल	143	46	46.36
138	किशनलाल पिता तुलसीराम	143	47	146.26
139	गोकुलप्रसाद पिता तुलसीराम	143	48	109.34
140	राजू पिता किशनलाल	143	49	10.24
				9402.95

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

क्र. 1778-भू-अर्जन-2021

बरेली, दिनांक 24 मई 2021

प्रकरण क्रमांक 06/भू-अर्जन/2020-21 बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - उड़िया

तहसील- उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उड़िया	कौशलेन्द्र सिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गायव्यान भू स्वामी	51/3	1.190	0.303	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण भोपाल	लो.नि.विभाग द्वारा ग्राम उड़िया से गायव्यान मार्ग में खांड नदी पर पुल निर्माण हेतु

प्रमोद सिंह गुंजर, अनुविभागीय/भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रा. प्र. क्रमांक-02-अ-82-2020-2021

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 मई 2021

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत साईंखेड़ा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में साईंखेड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन:—

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	साँसर	ग्राम— खापरखेड़ा, प0ह0न0—55, ब0न0—78, रा0नि0म0— लोधीखेड़ा	1. गीतांजली पिता शंकरराव कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी—खापरखेड़ा	185/1	01.574	साईंखेड़ा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग		1	01.574 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

रा. प्र. क्रमांक-04-अ-82-2020-2021

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत गोरखपुर अजनी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में गोरखपुर अजनी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन:—

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है ।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम— गोरखपुर, प0ह0ने0-67, ब0न0-136, रा0नि0म0— इकलबिहरी	1. जानकी विघवा गोविंदा निवासी ग्राम भूमिस्वामी— गोरखपुर 2. मोहन, पवन पिता भिकारी निवासी ग्राम भूमि स्वामी— गोरखपुर	107/1 109/1	0.300 0.200	गोरखपुर अजनी के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।

		3. टीकाराम पिता लक्ष्मण निवासी ग्राम भूमिस्वामी- गोरखपुर	129/1	0.195	
		4. सिरपत पिता आशा पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-गोरखपुर	132/13	0.105	
		5. सेवती पति भिकारी निवासी ग्राम भूमिस्वामी- गोरखपुर	134/1	0.050	
		6. धुन्धू पिता आनंदराव पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी-गोरखपुर	20/3	0.041	
	कुल योग		6	0.891 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

रा. प्र. क्रमांक-3204-भू-अर्जन-2021

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 मई 2021

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-F-22/03/2017-18/ल.सि./31/1358 भोपाल, दिनांक 19/06/2018 की छायाप्रति संलग्न है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "लघु सिंचाई योजना" बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पांडुर्णा	ग्राम- कुकडीखापा, प0ह0न-64 ब.न.-47 रा.नि.मं. -पांडुर्णा	रकबा-01.830 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पांडुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	डोलनाला जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. 03-भू-अर्जन-2021-1919

दमोह, दिनांक 28 मई 2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है।

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन :- जिला - दमोह, तहसील - पथरिया, ग्राम - नैगुवा, सतपारा
क्षेत्रफल -4.466 हेक्ट.

ग्राम नैगुवा

क्र	भू-धारक का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे०) में
1.	देवेन्द्र पिता शारदा सींग	577	0.129
2.	कमलरानी पत्नी मोहन	619/2	0.084
3.	मोहन पिता तजई	651/4	0.033
4.	जिनेश पिता मोतीलाल	651/3	0.015
5.	गिल्ले पिता फुंदी	651/1	0.108
6.	गुमान पिता बनखंडी	652/2	0.090
7.	भवूदे पिता मिटई	652/1	0.084
8.	नन्नेलाल पिता बनखंडी	653/1	0.054
9.	प्रेमलाल पिता कुंज्जीलाल, परमलाल पिता कुंज्जीलाल	653/2	0.075
10.	शारदा पिता परसादी	674	0.126
11.	डायमंड सीमेंट प्रो हाईडलवर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड नरसिंहगढ़ द्वारा शिवकांत पांडे यूनिट हेड डायमंड सीमेंट रवीन्द्रनाथ राय वाईस प्रसीडेंटमाईस डायमंड सीमेंट नरसिंहगढ़	647	0.156
12.	डायमंड सीमेंट प्रो हाईडलवर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड नरसिंहगढ़ द्वारा शिवकांत पांडे यूनिट हेड डायमंड सीमेंट रवीन्द्रनाथ राय वाईस प्रसीडेंटमाईस डायमंड सीमेंट नरसिंहगढ़	646	0.165
13.	डायमंड सीमेंट प्रो हाईडलवर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड नरसिंहगढ़ द्वारा शिवकांत पांडे यूनिट हेड डायमंड सीमेंट रवीन्द्रनाथ राय वाईस प्रसीडेंटमाईस डायमंड सीमेंट नरसिंहगढ़	679/2	0.018
14.	डायमंड सीमेंट प्रो हाईडलवर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड नरसिंहगढ़	645/1/ख	0.114
15.	डायमंड सीमेंट प्रो हाईडलवर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड नरसिंहगढ़ द्वारा शिवकांत पांडे यूनिट हेड डायमंड सीमेंट रवीन्द्रनाथ राय वाईस प्रसीडेंटमाईस डायमंड सीमेंट नरसिंहगढ़	680/1	0.084
16.	डायमंड सीमेंट प्रो हाईडलवर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड नरसिंहगढ़ द्वारा शिवकांत पांडे यूनिट हेड डायमंड सीमेंट रवीन्द्रनाथ राय वाईस प्रसीडेंटमाईस डायमंड सीमेंट नरसिंहगढ़	680/2	0.015
	योग		1.350

ग्राम सतपारा

क्र	भू-धारक का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा (हे०) में
1.	डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़	1807 / 1	0.150
2.	डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़	1807 / 2	0.128
3.	डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़	1808 / 1	0.203
4.	डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़	1809 / 1	0.060
5.	डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़	1809 / 2	0.042
6.	डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़	1809 / 3	0.108
7.	डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़	1809 / 5, 6	0.036
8.	डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़	1816	0.084
9.	डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़	1818	0.126
10.	पन्नालाल पिता काशीराम, देवीदास पिता काशीराम, दयाराम पिता काशीराम	1824	0.228
11.	दीपचंद पिता काशीराम, पन्नालाल पिता काशीराम, दयाराम पिता काशीराम	1825	0.003
12.	डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़	1828 / 1	0.375
13.	औंकार पिता लखन	1834 / 1	0.309
14.	डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़	1837	0.030
15.	रामेश्वर पिता काशीराम	1847	0.144
16.	डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़	1850	0.282
17.	डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़	1851	0.051
18.	मुलू पिता लटोरे	1858 / 3	0.039
19.	कौशिल्यारानी पति मुलू	1858 / 4	0.135
20.	लक्ष्मीरानी पति श्रीराम कुर्मी	1858 / 6,7,8	0.180
21.	ब्रजराज सिंह पिता मिहरखान सिंह	1859	0.060
22.	अवधबिहारी पिता दुलीचंद	1870	0.075
23.	सुषमा पत्नि गजाधर	1871	0.129
24.	औंकार पिता लखन	1828 / 3	0.077
25.	राजाराम औंकार पिता लखन	1835	0.062
		योग	3.116
		कुल योग	4.466

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है पंचमनगर काम्पलेक्स सिंचाई परियोजना अंतर्गत तहसील पथरिया के ग्राम नैगुंवा एवं सतपारा में से पाईप लाईन बाबत ।
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी पथरिया एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर (MOPRO) के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी पथरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2021

सूचना

क्र. एफ-3-46-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 3201-वि.यो. 496-नगानि-2020, भोपाल दिनांक 24 अगस्त 2020 द्वारा प्रकाशित अनूपपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अनूपपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

- 1 आयुक्त, शहडोल, संभाग शहडोल, मध्यप्रदेश
- 2 कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश
- 3 सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय अनूपपुर, मध्यप्रदेश
- 4 मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् अनूपपुर, मध्यप्रदेश

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अनूपपुर विकास योजना 2021.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक कृषि	6 6	6-सा-14 6-सा-14	4 7	सूचना प्रौद्योगिकी*, एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग** सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थानें.
- **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टीपः—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2021

सूचना

क्र. एफ-3-47-2019-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा ओंकारेश्वर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश.
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला-कार्यालय खण्डवा, मध्यप्रदेश.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद् ओंकारेश्वर, मध्यप्रदेश

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल दिनांक 7 जून 2021

क्रमांक एफ-03-47-2019-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ-03-47-2021-अठारह-5, भोपाल दिनांक 7 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

NOTICE

Bhopal the 7th June 2021

No. F-3-47-2019-XVIII-5.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Omkareshwar (Planning Area) 2031 under sub-section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

1. Commissioner, Indore Division, Indore, Madhya Pradesh.
2. Collector, District Khandwa, Madhya Pradesh.
3. Deputy Director, Town & Country Planning Dist. Office Khandwa Madhya Pradesh.
4. Chief Municipal Officer, Nagar Parishad Omkareshwar, Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh, Gazettee under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

सूचना

भोपाल, दिनांक 4 जून 2021

क्र. एफ-3-55-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित), 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा आयुक्त-सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 2071-टीसी/29/उपां/नग्रानि/2021, दिनांक 31 मार्च 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इटारसी विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	नजूलशीट क्रमांक	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)-	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	इटारसी	10	2/1	175855 वर्गफीट (1.634 हेक्टेयर)	वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक आमोद-प्रमोद तथा 18.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.	मिश्रित एवं 18.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.

योग . . 175855 वर्गफीट
(1.634 हेक्टेयर)

1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियां मान्य होंगी.

2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानुसार लागू होंगे.

3. उपरोक्त उपांतरण इटारसी विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

क्रमांक-एफ-25-57/2021/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है। यह वन खण्ड झपरवा N 24°36'46.20491" से N 24°36'01.33670" उत्तर अक्षांश तथा E 82°20'56.13333" से E 82°20'38.46044" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला-सिंगरौली
वन मण्डल-संजय टाइगर रिजर्व

तहसील -चितरंगी
वन परिक्षेत्र -बगदरा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का वितरण					वनखण्ड की सीमायें
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे० में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	झपरवा	झपरवा	म.प्र. शासन वन विभाग	53	24.54	उत्तर : खसरा संख्या 54 की सीमा रेखा। पूर्व : खसरा संख्या 56 की सीमा रेखा। दक्षिण: खसरा संख्या 60 की सीमा रेखा। पश्चिम: खसरा संख्या 51 की सीमा रेखा।
2	झपरवा	झपरवा	म.प्र. शासन वन विभाग	74	13.64	उत्तर : खसरा संख्या 76, 77, एवं 78 की सीमा रेखा। पूर्व : खसरा संख्या 181 एवं 186 की सीमा रेखा।
3		झपरवा	म.प्र. शासन वन विभाग	75	20.16	
4	झपरवा	झपरवा	म.प्र. शासन वन विभाग	87/1	1.76	दक्षिण: खसरा संख्या 71 एवं 73 की सीमा रेखा। पश्चिम: खसरा संख्या 67 (सड़क) की सीमा रेखा।
5			कुल रकबा		60.10	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-02/2020-एफ.सी. दिनांक 15.12.2020 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना सूलियारी कोल ब्लॉक, जिला-सिंगरौली में प्रभावित 259.239 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 259.239 हे. गैर वनभूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से 60.10 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4/अ-20(1)/2020-21 दिनांक 15.03.2021 हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक ।

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4/अ-20(1)/2020-21 दिनांक 15.03.2021 अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण अधिसूचना प्रारूप में दर्शित है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

एफ-25-57/2021/10-3:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-57/2021/10-3 दिनांक 11 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 11th June 2021

No.-F-25-57/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below, This Forest Blocks Jhaprahwa lies between N 24°36'46.20491" to N 24°36'01.33670" North. Latitude and E 82°20'56.13333" to E 82°20'38.46044" East Longitude.

SCHEDULE**District – Singrauli****Tehsil - Chitrangi****Forest Division – Sanjay Tiger Reserve****Forest Range –Bagdra**

S.N.	Name of Forest Block	Details of Land included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Head of land	Khasra no.	Area (ha)	
1	Jhaprahwa	Jhaprahwa	Govt Forest Land	53	24.54	North: Boundary Line of Plot No. 54 East: Boundary Line of Plot No. 56 South : Boundary Line of Plot No.60 West : Boundary Line of Plot No. 51
			Total Area		24.54	
		Jhaprahwa	Govt Forest Land	74	13.64	North: Boundary Line of Plot No. 76,
		Jhaprahwa	Govt Forest Land	75	20.16	77, 78
		Jhaprahwa	Govt Forest Land	87 / 1	1.76	East: Boundary Line of Plot No. 181 & 186 South: Boundary Line of Plot No. 71 & 73 West :Boundary Line of Plot No. 67 (Road)
			Total Area		35.56	
			Grand Total		60.10	

(A) Reason for Publication of Notification: -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's letter no. File No. 8-02/2020.FC Dated 15.12.2020 and in lieu of 259.239 of affected forest land under the sanctioned project of Suliari Coal Mine, the above mentioned Non Forest land 60.10 Hectare mentioned in schedule

Transferred or Muted in favor of M.P. Forest Department by order no 4/A-20/(1) 2020-21 Singrauli, dated 15-03-2021 of Collector District Singrauli for the purpose of Compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons – Nil

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report order no 4/A-20/(1) 2020-21 Singrauli Dated 15-03-2021 Collector District Singrauli are as above:

1. Individual's Rights :- There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. Community's Rights :- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex Officio Secy.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

क्रमांक-एफ-25-57/2021/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है। यह वन खण्ड करौंदिया N 24°36'12.29132" से N 24°35'36.70267" उत्तर अक्षांश तथा E 82°29'24.60821" से E 82°28'44.77707" पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला-सिंगरौली
वन मण्डल-संजय टाइगर रिजर्व

तहसील -चितरंगी
वन परिक्षेत्र -बगदरा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का वितरण					वनखण्ड की सीमायें
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे० में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	करौंदिया	करौंदिया	म.प्र. शासन वन विभाग	627	3.66	उत्तर : खसरा संख्या 617 की सीमा रेखा।
2	करौंदिया	करौंदिया	म.प्र. शासन वन विभाग	628	3.70	पूर्व : खसरा संख्या 632, 631, 630, 629, 633 की सीमा रेखा। दक्षिण: वन खण्ड की कक्ष क्रमांक सीमा रेखा। पश्चिम: खसरा संख्या 455 (नाला), 456, 625, 626, 624 की सीमारेखा।
3		करौंदिया	म.प्र. शासन वन विभाग	763	0.96	उत्तर : खसरा संख्या 762, 761, 760, 785 की सीमा रेखा।
4		करौंदिया	म.प्र. शासन वन विभाग	764	3.02	पूर्व : खसरा संख्या 771, 776, 769, 768 की सीमा रेखा।
5		करौंदिया	म.प्र. शासन वन विभाग	767	0.82	
6		करौंदिया	म.प्र. शासन वन विभाग	770	4.88	दक्षिण: वन खण्ड की सीमा रेखा।
7		करौंदिया	म.प्र. शासन वन विभाग	766/1 /1	1.59	पश्चिम: खसरा संख्या 652, 653, 654, 655 की सीमा रेखा।
			कुल रकबा		18.63	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-02/2020-एफ.सी. दिनांक 15.12.2020 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना सूलियारी कोल ब्लॉक, जिला-सिंगरौली में प्रभावित 259.239 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 259.239 हे. गैर वनभूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 18.63 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4/अ-20(1)/2020-21 दिनांक 15.03.2021 हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक ।

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4/अ-20(1)/2020-21 दिनांक 15.03.2021 अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण अधिसूचना प्रारूप में दर्शित है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

एफ-25-57/2021/10-3:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-57/2021/10-3 दिनांक 11 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 11th June 2021

No.-F-25-57/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below, This Forest Blocks Karodiya lies between N 24°36'12.29132" to N 24°35'36.70267" **North. Latitude and** E 82°29'24.60821" to E 82°28'44.77707" **East Longitude.**

SCHEDULE**District – Singrauli****Tehsil - Chitrangi****Forest Division – Sanjay Tiger Reserve****Forest Range –Bagdra**

S.N.	Name of Forest Block	Details of Land included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Head of land	Khasra no.	Area (ha)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Karodiya	Karodiya	Govt Forest Land	627	3.66	North- Khasra No. 617, East- Khasra No. 632, 631, 630, 633 South-Forest Block Line West- Khasra No. 455, 456, 625, 626, 624
		Karodiya	Govt Forest Land	628	3.70	
		Karodiya	Govt Forest Land	763	0.96	North- Khasra No. 662,661,660,685 East- Khasra No. 771, 776, 769, 768 South-Forest Block Line West- Khasra No. 652, 653, 654, 655
		Karodiya	Govt Forest Land	764	3.02	
		Karodiya	Govt Forest Land	767	0.82	
		Karodiya	Govt Forest Land	770	4.88	
		Karodiya	Govt Forest Land	766 / 1 / 1	1.59	
			Total Area		18.63	

(A) Reason for Publication of Notification: -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's letter no. File No. 8-02/2020.FC Dated 15.12.2020 and in lieu of 259.239 of affected forest land under the sanctioned project of Suliyari Coal Mine, the above mentioned Non Forest land of 259.239 Hectare mentioned in schedule transferred or Muted in favor of M.P. Forest Department by order no 4/A-20/(1) 2020-21 Singrauli, dated 15-03-2021 of Collector District Singrauli for the Purpose of Compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons – Nil

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report order no 4/A-20/(1) 2020-21 Singrauli Dated 15-03-2021 Collector District Singrauli are as above:-

1. Individual's Rights :- There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. Community's Rights :- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex Officio Secy.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

क्रमांक-एफ-25-57/2021/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है। यह वन खण्ड रमपुरवा N 24°37'37.19527" से N 24°37'54.62841" उत्तर अक्षांश तथा E 82°40'35.84209" से E 82°40'34.24005" पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला-सिंगरौली
वन मण्डल-संजय टाइगर रिजर्व

तहसील -चितरंगी
वन परिक्षेत्र -बगदरा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का वितरण					वनखण्ड की सीमायें
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे० में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	रमपुरवा	रमपुरवा	म.प्र. शासन वन विभाग	1090	12.480	उत्तर : खसरा संख्या 1290 की सीमा रेखा।
2	रमपुरवा	रमपुरवा	म.प्र. शासन वन विभाग	1091	0.800	
3	रमपुरवा	रमपुरवा	म.प्र. शासन वन विभाग	1092	0.420	
4	रमपुरवा	रमपुरवा	म.प्र. शासन वन विभाग	1093	0.270	पूर्व : खसरा संख्या 1291, 1292, 1171, 1168, 1095, 1098, 1101, 1103 की सीमारेखा।
5	रमपुरवा	रमपुरवा	म.प्र. शासन वन विभाग	1094	0.390	
6	रमपुरवा	रमपुरवा	म.प्र. शासन वन विभाग	1172	13.049	
7	रमपुरवा	रमपुरवा	म.प्र. शासन वन विभाग	1173	0.370	
8	रमपुरवा	रमपुरवा	म.प्र. शासन वन विभाग	1174	0.110	दक्षिण: खसरा संख्या 1109 की सीमा रेखा। पश्चिम: खसरा संख्या 1086, 1087, 1088, 1089, 778, 777, 775, 774 की सीमा रेखा।
9	रमपुरवा	रमपुरवा	म.प्र. शासन वन विभाग	1175	0.210	
10	रमपुरवा	रमपुरवा	म.प्र. शासन वन विभाग	1176	0.560	
					28.659	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-02/2020-एफ.सी. दिनांक 15.12.2020 मे अधिरोपित शर्त के अनुसार की स्वीकृत परियोजना सूलियारी कोल ब्लॉक, जिला-सिंगरौली मे प्रभावित 259.239 हे. वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 259.239 हे. गैर वनभूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से 28.659 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष मे कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4/अ-20(1)/2020-21 दिनांक 15.03.2021 हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक ।

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4/अ-20(1)/2020-21 दिनांक 15.03.2021 अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण अधिसूचना प्रारूप में दर्शित है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

एफ-25-57/2021/10-3:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-57/2021/10-3 दिनांक 11 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 11th June 2021

No.-F-25-57/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below, This Forest Blocks Rampurwa lies between N 24°37'37.19527" to N 24°37'54.62841" North. Latitude and E 82°40'35.84209" to E 82°40'34.24005" East Longitude.

SCHEDULE**District – Singrauli****Forest Division – Sanjay Tiger Reserve****Tehsil - Chitrangi****Forest Range –Bagdra**

S.N.	Name of Forest Block	Details of Land included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Head of land	Khasra no.	Area (ha)	
01	Rampurwa	Rampurwa	Govt Forest Land	1090	12.480	North: Boundary Line of Plot No. 1290 East: Boundary Line of Plot No. 1291, 1292, 1171, 1168, 1095, 1098, 1101, 1103 South : Boundary Line of Plot No.1109 West : Boundary Line of Plot No. 1086, 1087, 1088, 1089, 778, 777, 775, 774, 1177(Road)
		Rampurwa	Govt Forest Land	1091	0.800	
		Rampurwa	Govt Forest Land	1092	0.420	
		Rampurwa	Govt Forest Land	1093	0.270	
		Rampurwa	Govt Forest Land	1094	0.390	
		Rampurwa	Govt Forest Land	1172	13.049	
		Rampurwa	Govt Forest Land	1173	0.370	
		Rampurwa	Govt Forest Land	1174	0.110	
		Rampurwa	Govt Forest Land	1175	0.210	
		Rampurwa	Govt Forest Land	1176	0.560	
		Total Area			28.659	

(A) Reason for Publication of Notification: -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's letter no. File No. 8-02/2020.FC Dated 15.12.2020 and in lieu of 259.239 of affected forest land under the sanctioned project of Suliyari Coal Mine, the above mentioned Non Forest land of 28.659 Hectare mentioned in schedule Transferred or Muted in favor of M.P. Forest Department by order no 4/A-20/(1) 2020-21 Singrauli, dated 15-03-2021 of Collector District Singrauli for the Purpose of Compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons – Nil

The Khasra wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report order no 4/A-20/(1) 2020-21 Singrauli Dated 15-03-2021 Collector District Singrauli are as above:

1. Individual's Rights :- There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. Community's Rights :- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex Officio Secy.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

क्रमांक-एफ-25-57/2021/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है। यह वन खण्ड बीछी N 24°32'46.32776" से N 24°32'36.79953" उत्तर अक्षांश तथा E 82°27'05.99851" से E 82°28'19.46487" पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला-सिंगरौली

वन मण्डल-संजय टाइगर रिजर्व

तहसील -चितरंगी

वन परिक्षेत्र -बगदरा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का वितरण					वनखण्ड की सीमायें
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे० में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	बीछी	बीछी	म.प्र. शासन वन विभाग	146	21.460	उत्तर: खसरा संख्या 440, 140, 143, 145, 136, 135, 134, 450, 46/439, 449, 448, 441, 146/438, 451, 148, 149, 171, 174, 241, 242, 243, 245,246, 247, 248, 249, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 एवं 192 की सीमा रेखा। पूर्व: खसरा संख्या 146/2 की सीमा रेखा। दक्षिण: खसरा संख्या 436, 146/446 एवं 436 की सीमा रेखा। पश्चिम: खसरा संख्या 115 की सीमा रेखा।
		बीछी	म.प्र. शासन वन विभाग	395	0.840	उत्तर: वन खण्ड का कक्ष की सीमा रेखा।
		बीछी	म.प्र. शासन वन विभाग	397	0.240	पूर्व: खसरा संख्या 403 एवं 405 की सीमा रेखा।

	बीछी	म.प्र. शासन वन विभाग	398	1.200	दक्षिण: खसरा संख्या 401 की सीमा रेखा। पश्चिम: खसरा संख्या 394 एवं 393 की सीमा रेखा।
	बीछी	म.प्र. शासन वन विभाग	399	3.200	
	बीछी	म.प्र. शासन वन विभाग	400	0.270	
	बीछी	म.प्र. शासन वन विभाग	402	0.330	
	कुल रकबा			27.54	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-02/2020-एफ.सी. दिनांक 15.12.2020 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना सूलियारी कोल ब्लॉक, जिला-सिंगरौली में प्रभावित 259.239 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 259.239 हे. गैर वनभूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से 27.54 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4/अ-20(1)/2020-21 दिनांक 15.03.2021 हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण-निरंक ।

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4/अ-20(1)/2020-21 दिनांक 15.03.2021 अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण अधिसूचना प्रारूप में दर्शित है :-

- व्यक्तिगत अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

एफ-25-57/2021/10-3:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-57/2021/10-3 दिनांक 11 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 11th June 2021

No.-F-25-57/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below, This Forest Blocks Bichhi lies between N 24°32'46.32776" to N 24°32'36.79953" North. Latitude and E 82°27'05.99851" to E 82°28'19.46487" East Longitude.

SCHEDULE

District – Singrauli

Forest Division – Sanjay Tiger Reserve

Tehsil - Chitrangi

Forest Range –Bagdra

S.N.	Name of Forest Block	Details of Land included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Head of land	Khasra no.	Area (ha)	
1	Bichhi	Bichhi	Govt Forest Land	146	21.460	North: Boundary Line of Plot No. 440, 140, 143, 145, 136, 135, 134, 450, 46/439, 449, 448, 441, 146/438, 451, 148, 149, 171, 174, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 285, 286, 287, 288, 289, 290,291and 192. East: Boundary Line of Plot No. 146/2 South : Boundary Line of Plot No 436, 146/446and 436. South : Boundary Line of Plot No115.
		Bichhi	Govt Forest Land	395	0.840	
		Bichhi	Govt Forest Land	397	0.240	
		Bichhi	Govt Forest Land	398	1.200	
		Bichhi	Govt Forest Land	399	3.200	
		Bichhi	Govt Forest Land	400	0.270	
		Bichhi	Govt Forest Land	402	0.330	
					27.54	North : Boundary Line of Forest Land. East: Boundary Line of Plot No. 403 and 405. South: Boundary Line of Plot No.401. South: Boundary Line of Plot No.394 and 393.

(A) Reason for Publication of Notification: -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's letter no. File No. 8-02/2020.FC Dated 15.12.2020 and in lieu of 259.239 of affected forest land under the sanctioned project of Suliyari Coal Mine, the above mentioned Non Forest land of 27.54 Hectare mentioned in schedule transferred or Muted in favor of M.P. Forest Department by order no 4/A-20/(1) 2020-21 Singrauli, dated 15-03-2021 of Collector District Singrauli for the Purpose of Compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons – Nil

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report order no 4/A-20/(1) 2020-21 Singrauli Dated 15-03-2021 Collector District Singrauli are as above:-

1. Individual's Rights :- There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. Community's Rights :- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex Officio Secy.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

क्रमांक-एफ-25-57/2021/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है। यह वन खण्ड हरमा N 24°32'09.90591" से N 24°31'45.79690" उत्तर अक्षांश तथा E 82°32'52.91603" से 82°32'45.09920" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला-सिंगरौली
वन मण्डल-संजय टाइगर रिजर्व

तहसील -चितरंगी
वन परिक्षेत्र -बगदरा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का वितरण					वनखण्ड की सीमायें
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	हरमा	हरमा	म.प्र. शासन वन विभाग	507	10.500	उत्तर : खसरा संख्या 536 एवं वनभूमि कक्ष क्रमांक की सीमारेखा। पूर्व: नाला माची खूर्द एवं खसरा संख्या 616 तथा 617 की सीमा रेखा। दक्षिण: खसरा संख्या 615, 617, 618, 619, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 630, 574, 575, 576, 577, 499, 500, 501, नाला, 503, 506, 504, 505 की सीमा रेखा। पश्चिम: खसरा संख्या 167, 162, 161, 508, 509, 511, 512, 513, 546, 547, 548, 573, 572, 571, 570, 569, 562, 561, 564, 557, 558, 559, 558, 536 की सीमा रेखा।
		हरमा	म.प्र. शासन वन विभाग	560 / 1	10.340	
		हरमा	म.प्र. शासन वन विभाग	632	3.500	
		हरमा	म.प्र. शासन वन विभाग	633	0.660	
		हरमा	म.प्र. शासन वन विभाग	634 / 1	17.00	
			कुल रकबा		42.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-02/2020-एफ.सी. दिनांक 15.12.2020 में अधिरोपित शर्त के अनुसार की स्वीकृत परियोजना सूलियारी कोल ब्लॉक, जिला-सिंगरौली में प्रभावित 259.239 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 259.239 हे. गैर वनभूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 42.00 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4/अ-20(1)/2020-21 दिनांक 15.03.2021 हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक ।

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4/अ-20(1)/2020-21 दिनांक 15.03.2021 अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण अधिसूचना प्रारूप में दर्शित है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

एफ-25-57/2021/10-3:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-57/2021/10-3 दिनांक 11 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 11th June 2021

No.-F-25-57/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below, This Forest Blocks Harma lies between N 24°32'09.90591" to N 24°31'45.79690" North. Latitude and E 82°32'52.91603" to 82°32'45.09920" East Longitude.

SCHEDULE**District – Singrauli****Tehsil - Chitrangi****Forest Division – Sanjay Tiger Reserve****Forest Range –Bagdra**

S.N.	Name of Forest Block	Details of Land included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Head of land	Khasra no.	Area (ha)	
1	Harma	Harma	Govt Forest Land	507	10.500	North: Boundary Line of Plot No. 536 and Boundary line of Forest land. East: Nala Machi Khurdandboundaryline of PlotNo. 616 and 617. South: Boundary Line of Plot No.615,617, 618, 619, 623,624, 625, 626 627, 628, 629, 631, 630, 574, 575, 576, 577, 499, 500, 501 Nala 503, 506, 504 and 505. South: Boundary Line of Plot No. 167, 162, 161, 508, 509, 511, 512, 513, 546, 547, 548, 573, 572, 571, 570, 569, 562, 561, 564, 557, 558, 559, 558 and 536.
		Harma	Govt Forest Land	560 / 1	10.340	
		Harma	Govt Forest Land	632	3.500	
		Harma	Govt Forest Land	633	0.660	
		Harma	Govt Forest Land	634 / 1	17.00	
			Total Area		42.00	

(A) Reason for Publication of Notification: -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's letter no. File No. 8-02/2020.FC Dated 15.12.2020 and in lieu of 259.239 of affected forest land under the sanctioned project of Suliyari Coal Mine, the above mentioned Non Forest land of 42.00 Hectare mentioned in schedule transferred or Muted in favor of M.P. Forest Department by order no 4/A-20/(1) 2020-21 Singrauli, dated 15-03-2021 of Collector District Singrauli for the Purpose of Compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons – Nil

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report order no 4/A-20/(1) 2020-21 Singrauli Dated 15-03-2021 Collector District Singrauli are as above:-

1. Individual's Rights :- There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. Community's Rights :- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex Officio Secy.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

क्रमांक-एफ-25-57/2021/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है। यह वनखण्ड डाला N24°21'10.90" से N24°21'21.00" उत्तर अक्षांश तथा E82°32'4.19" से E82°32'17.80" पूर्व देशांश एवं N24°21'19.90" से N24°21'34.42" उत्तर अक्षांश तथा E82°31'40.82" से E82°32'54.03" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला :- सिंगरौली
वनमण्डल :- सिंगरौली

तहसील :- चितरंगी
वन परिक्षेत्र :- गोरबी

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमायें
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	डाला (पैच 1)	डाला	म0प्र0 शासन वन विभाग	1307 1308	5.360 2.240	उत्तर : खसरा संख्या 1320, सड़क की सीमा रेखा। पूर्व : खसरा संख्या 1317, 1318, 1319 की सीमा रेखा। दक्षिण: खसरा संख्या 1317, 1312, 1309 एवं 1310 की सीमा रेखा। पश्चिम: खसरा संख्या 1302/1 एवं 1304 की सीमा रेखा।
	डाला (पैच 2)	डाला	म0प्र0 शासन वन विभाग	1321 1325 1326 1328 1330 1331 1332 1333 1346	12.780 0.210 0.170 1.010 11.920 0.950 1.540 0.760 23.260	उत्तर : वनखण्ड की सीमा रेखा एवं खसरा संख्या 1333/1, 1335, 1337, 1338, 1339, 1340, 1342 एवं 1345 की सीमा रेखा। पूर्व : बसनिया ग्राम की सीमा रेखा। दक्षिण: खसरा संख्या 1349, 1347, 1362 (सड़क), 1329 एवं 1320 (सड़क) की सीमा रेखा। पश्चिम: खसरा संख्या 1320 (सड़क) की सीमा रेखा।
			योग		60.200	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-02/2020-एफ.सी. दिनांक 15.12.2020 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना सुलियरी ओपन कास्ट में प्रभावित 259.239 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 259.239 हे. गैर वनभूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 60.200 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4/अ-20(1)/2020-21 सिंगरौली, दिनांक 15.03.2021 से हस्तांतरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक।

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, कलेक्टर जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 4/अ-20(1)/2020-21 सिंगरौली, दिनांक 15.03.2021 अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

एफ-25-57/2021/10-3:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-57/2021/10-3 दिनांक 11 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 11th June 2021

No.-F-25-57/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below, This Forest Blocks Dala lies between N24°21'10.90" to N24°21'21.00" North Latitude and E82°32'4.19" to E82°32'17.80" East Longitude and N24°21'19.90" to N24°21'34.42" North Latitude and E82°31'40.82" to E82°32'54.03" East Longitude.

SCHEDULE

District -Singrauli
Forest Division -Singrauli

Tahsil - Chitrangi
Forest Range - Gorbi

S.N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Head of land	Khasra no.	Area (Hac.)	
1.	Dala (Patch 1)	Dala	Govt. Forest Land	1307	5.360	North: Boundary line of plot no. 1320 & Road. East : Boundary line of Plot No. 1317, 1318, 1319 . South : Boundary line of Plot No. 1317, 1312, 1309 and 1310. West : Boundary line of Plot No. 1302/1 and 1304.
				1308	2.240	
2	Dala (Patch 2)	Dala	Govt. Forest Land	1321	12.780	North: Boundary Line of Forest Boundary line of Plot No. 1333/1, 1335, 1337, 1338, 1339, 1340, 1342, & 1345 East: Boundary Line of Basaniya Village South : Boundary Line of Plot No. 1349, 1347, 1362, (Road) ,1329, and 1320 (Road) . South : Boundary Line of Plot No. 1320(Road).
				1325	0.210	
				1326	0.170	
				1328	1.010	
				1330	11.920	
				1331	0.950	
				1332	1.540	
				1333	0.760	
1346	23.260					
Total				60.200		

(A) Reason for Publication of Notification :-

1 – In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's letter No. 8-02/2020-FC Dated 15-12-2020 and in lieu of 259.239 hectare affected forest land under the sanctioned project of Suliary Coal Mine Project the above mentioned Non Forest Land of 22.110 Hectare mentioned in schedule transferred or muted in favor of M.P. Forest Department by order no. 4/अ-20(1)/2020-21 Singrauli Dated 15-03-2021 Collector District Singrauli for the Purpose of Compensatory aforestation.

2- Detail of other Reasons – Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report no. 4/अ-20(1)/2020-21 Singrauli Dated 15-03-2021 Collector District Singrauli are as Under.

1. Individual's Rights :- There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. Community's Rights :- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex Officio Secy.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

क्रमांक-एफ-25-57/2021/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है। यह वनखण्ड बगदरी N24°18'18.62" से N24°18'35.89" उत्तर अक्षांश तथा E82°33'6.56" से E82°33'47.60" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला :- सिंगरौली
वनमण्डल :- सिंगरौली

तहसील :- चितरंगी
वन परिक्षेत्र :- गोरबी

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमायें
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	बगदरी	बगदरी	म0प्र0 शासन वन विभाग	922	22.110	उत्तर : खसरा संख्या 920, 919, एवं 921 की सीमा रेखा तथा ग्राम नवा नगर एवं ग्राम वरवा टोला की सीमा रेखा। पूर्व : खसरा संख्या 1328 की सीमा रेखा। दक्षिण : खसरा संख्या 1306, 1305, 1304, 1303, 1302 956, 955, 954, 939, 938, 922/1699, 926, 925, 924, 923, 918 की सीमा रेखा। पश्चिम : खसरा संख्या 916 की सीमा रेखा।
				योग	22.110	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-02/2020-एफ. सी. दिनांक 15.12.2020 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना सुलियरी ओपन कास्ट में प्रभावित 259.239 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 259.239 हे. गैर वनभूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 22.110 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4/अ-20(1)/2020-21 सिंगरौली, दिनांक 15.03.2021 से हस्तांतरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण - निरंक।

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, कलेक्टर जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 4/अ-20(1)/2020-21 सिंगरौली, दिनांक 15.03.2021 अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

एफ-25-57/2021/10-3:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-57/2021/10-3 दिनांक 11 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 11th June 2021

No.-F-25-57/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below, this Forest Blocks Bagdari lies between N24°18'18.62" to N24°18'35.89" North Latitude and E82°33'6.56" to E82°33'47.60" East Longitude.

SCHEDULE

District -Singrauli
Forest Division -Singrauli

Tahsil - Chitrangi
Forest Range - Gorbi

S.N.	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Head of land	Khasra no.	Area (Hac.)	
1.	Bagdari	Bagdari	Govt. Forest Land	922	22.110	North: Boundary Line of Plot No. 920, 919, 921 and Boundary Line of Village -Nava Nagar and Varva Tola. East: Boundary Line of Plot No. 1328. South: Boundary Line of Plot No. 1306, 1305, 1304, 1303, 1302, 956, 955, 954, 939, 938, 922/1699, 926 925, 924, 923, 918. West: Boundary Line of Plot No. 916.
				Total	22.110	

(A) Reason for Publication of Notification :-

1 – In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's letter No. 8-02/2020-FC Dated 15-12-2020 and in lieu of 259.239 hectare affected forest land under the sanctioned project of Suliary Coal Mine Project the above mentioned Non Forest Land of 22.110 Hectare mentioned in schedule transferred or muted in favor of m.p. forest Department by order no. 4/3I-20(1)/2020-21 Singrauli Dated 15-03-2021 Collector District Singrauli for the Purpose of Compensatory afforestation.

2- Detail of other Reasons – Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report no. 4 / अ-20(1) / 2020-21 Singrauli Dated 15-03-2021 Collector District Singrauli are as Under:-

1. Individual's Rights :- There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. Community's Rights :- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex Officio Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 9 सितम्बर 2019

प्र. क्र. 0001-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीन, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	कास्ताखुर्द	0.984	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी.	इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता—इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम कास्ताखुर्द.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0002-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीन, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	ताकू	0.642	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी.	इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता—इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम ताकू.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0003-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीन, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	सहेली	0.142	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी.	इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता—इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम सहेली.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0005-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीन, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	कीरतपुर	0.071	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी.	इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता—इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम कीरतपुर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नस्ती क्र.-एल.ए.-2019

प्रकरण क्रमांक-0013-अ-82-2019-20

खण्डवा, दिनांक 07 जनवरी 2021

(शुद्धि पत्र-धारा 11 प्रारम्भिक अधिसूचना)

उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम पिपलोद खास की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा-11 के तहत प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को, नई दुनिया में दिनांक 19 अक्टूबर 2019 को, स्वदेश इन्दौर में दिनांक 20 अक्टूबर 2019 को, आम इशतहार दिनांक 30 सितम्बर 2019 को हुआ. डी. एम. की वेबसाईड पर अपलोडिंग दिनांक 30 सितम्बर 2019 को किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त प्रारम्भिक अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

रकबा

(1)

7.252 हे.

सही संशोधित प्रविष्टि

रकबा

(2)

6.714 हे.

उक्त प्रकाशन प्रारम्भिक अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 7.252 हे. के स्थान पर 6.714 हे. पढ़ा जावे.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2019

प्रकरण क्रमांक-0004-अ-82-2019-20

खण्डवा, दिनांक 11 जनवरी 2021

(शुद्धि पत्र-धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट सम्बन्धी अधिसूचना)

उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम बनमगांव आंखई की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि संशोधित कुल रकबा 4.065 हेक्टे. के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को, पत्रिका में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को, दैनिक भास्कर में 21 सितम्बर 2020 को, आम इशतहार दिनांक 23 सितम्बर 2020 को हुआ. डी. एम. की वेबसाईड पर अपलोडिंग दिनांक 23 सितम्बर 2020 को किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

रकबा

(1)

4.065 हे.

सही संशोधित प्रविष्टि

रकबा

(2)

1.882 हे.

उक्त प्रकाशन प्रारम्भिक अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 4.065 हे. के स्थान पर 1.882 हे. पढ़ा जावे.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2019

प्रकरण क्रमांक-0014-अ-82-2019-20

खण्डवा, दिनांक 5 मई 2021

(शुद्धि पत्र-धारा 19 उद्घोषणा)

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम विश्रामपुर की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में "भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा 19 के तहत उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को, पत्रिका खण्डवा में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को, दैनिक भास्कर में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को, आम इशतहार दिनांक 23 सितम्बर 2020 को हुआ.

डी. एम. की वेबसाईड पर अपलोडिंग दिनांक 23 सितम्बर 2020 को किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टी		सही संशोधित प्रविष्टी	
खसरा नं.	रकबा	खसरा नंबर	रकबा
238	0.175 हे.	238	0.040 हे.
239	0.510 हे.	239	0.410 हे.

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 6.853 हे. के स्थान पर 6.618 हे. पढ़ा जावे.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2019

प्रकरण क्रमांक-0014-अ-82-2019-20

(शुद्धि पत्र-धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट सम्बन्धी अधिसूचना)

उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम विश्रामपुर की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा-4 सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छूट संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को, पत्रिका खण्डवा में दिनांक 11 सितम्बर 2020 को, स्वदेश में दिनांक 19 अक्टूबर 2019 को, आम इशतहार दिनांक 30 सितम्बर 2019 को हुआ. डी. एम. की वेबसाईड पर अपलोडिंग दिनांक 30 सितम्बर 2019 को किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टी	सही संशोधित प्रविष्टी
रकबा	रकबा
(1)	(2)
6.853 हे.	6.618 हे.

उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 6.853 हे. के स्थान पर 6.618 हे. पढ़ा जावे.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2019

प्रकरण क्रमांक-0014-अ-82-2019-20

(शुद्धि पत्र-धारा 11 प्रारम्भिक अधिसूचना)

उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम विश्रामपुर की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा-11 के तहत प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को, स्वदेश में दिनांक 20 अक्टूबर 2019 को, पत्रिका खण्डवा में दिनांक 11 सितम्बर 2020 को, आम इशतहार दिनांक 30 सितम्बर 2019 को हुआ. डी. एम. की वेबसाईड पर अपलोडिंग दिनांक 30 सितम्बर 2019 को किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त प्रारम्भिक अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टी	सही संशोधित प्रविष्टी
रकबा	रकबा
(1)	(2)
6.853 हे.	6.618 हे.

उक्त प्रकाशन प्रारम्भिक अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 6.853 हे. के स्थान पर 6.618 हे. पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.